



दिनांक 26.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति 37 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वामा सारथी (उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) द्वारा शिक्षण सत्र वर्ष 2024-2025 में अध्ययनरत उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को किया गया सम्मानित

आज दिनांक 26.07.2025 को पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग के अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद ऑडीटोरियम में श्रीमती मीनाक्षी सिंह IRS अध्यक्ष वामा सारथी (उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) धर्मपत्नी श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के तत्वाधान में उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष वामा सारथी श्रीमती मीनाक्षी सिंह का स्वागत वामा सारथी की उपाध्यक्ष श्रीमती रेनू रिह द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया एवं वामा सारथी की सदस्य श्रीमती नीतू पाण्डेय, श्रीमती पुनीता सिंह, श्रीमती बृजरानी स्वर्णकार, श्रीमती श्वेता सेंगर व सचिव वामा सारथी श्रीमती चारु गाबा के साथ मंच पर स्थान ग्रहण किया गया।

तत्पश्चात वामा सारथी की सचिव श्रीमती चारु गाबा द्वारा वामा सारथी के उद्देश्य एवं कार्यों का परिचय दिया गया।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अध्यक्ष वामा सारथी एवं एसोसिएशन की सदस्यों द्वारा पुलिस परिवार के मेधावी छात्र एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। वामा सारथी अध्यक्ष द्वारा अपने संबोधन में उ0प्र0 पुलिस परिवार के सदस्यों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुये कहा कि कठिन परिश्रम एवं तपस्या से कोई भी उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है। अपने संबोधन में छात्र एवं छात्राओं को मोटिवेट करने के लिये वामा सारथी अध्यक्ष द्वारा बहुत ही सटीक उदाहरण देते हुये डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा कथित पंक्तियों को दोहराया गया कि "सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा"।

इस अवसर पर हाईस्कूल की परीक्षा में 99.2 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्रा मैत्री सिंह पुत्री श्री उदय प्रताप सिंह, यातायात निरीक्षक तथा हाईस्कूल की परीक्षा में 95.2 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्रा ऐशना दीप पुत्री श्री अतुल दीप सचान आरक्षी ड्राइवर एवं अन्य छात्र छात्राओं द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाने की सराहना करते हुये पुलिस अधिकारियों को अपना रोल मॉडल मानते हुये भविष्य में उच्च पद पर पहुँच कर प्रदेश व देश की सेवा करने के अपने लक्ष्य को बताया तथा इस मुकाम पर पहुँचने के लिये अपने माता-पिता के योगदान की सराहना की गयी।

इस अवसर पर **पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०** द्वारा अपने संबोधन में उक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिये वामा सारथी अध्यक्षा एवं उसके सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुये कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं उ०प्र० पुलिस परिवार के सदस्यों एवं मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुये कहा कि यह हमारे लिये गर्व का विषय है कि उ०प्र० पुलिस के सेवारत कार्मिकों के **234** बच्चे विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से **102** बच्चे एम०बी०बी०एस०, **93** बे०टेक०, **12** एम०टेक०, **05** एम०बी०ए० एवं अन्य संस्थाओं में हैं। उल्लेखनीय है कि इन्हीं में से **33** बच्चे आई०आई०टी०, **26** एन०आई०टी०, **11** ट्रिपल आई०टी०, **03** एन०एल०यू०, **02** ए०आई०आई०एम०एस०, **02** आई०आई०एम० में अध्ययनरत हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुये और अपेक्षा की गयी की वह अपनी मेहनत व लगन से और अधिक उच्चाईयों को प्राप्त करते हुये देश का नाम गौरवान्वित करें।

इस अवसर पर **श्री आनन्द स्वरूप**, पुलिस महानिदेशक, पीएचक्यू, **श्री अमिताभ यश**, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, **श्री एन० रविन्दर**, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, **श्री आर०के० भारद्वाज**, पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा वामा सारथी की उपसमिति **मेंटरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेंट समिति** की श्रीमती रितु चौधरी, श्रीमती अनुराधा, श्रीमती ज्योति धारिवाल **एजुकेशन समिति** की श्रीमती निहारिका सिंह, आरती वर्मा, श्रीमती वीना सिंह, श्रीमती मानिनी श्रीवास्तव **पर्यावरण समिति** की श्रीमती सीमा गुप्ता, श्रीमती मोहिता दीक्षित **स्पेशल इवेन्ट समिति** की श्रीमती काम्या कुलकर्णी, श्रीमती प्राची चौधरी **हेल्थ एण्ड वेलनेस समिति** की डा० रिचा चौधरी, डा० कोमल, डा० आकांक्षा गुप्ता, डा. अरुणिमा **स्पोर्ट एण्ड फिटनेस समिति** की श्रीमती अंकिता तिवारी, श्रीमती इन्द्रा उपस्थित रहीं।





दिनांक 26.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति 38 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ: जनपद-जौनपुर में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गैंग का भण्डाफोड़ भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद।

दिनांक: 25-07-2025 को एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को जनपद- जौनपुर में अवैध शस्त्र की तस्करी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- 1- राघवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रणविजय सिंह निवासी -ग्राम ताला, थाना कन्हाई, जनपद प्रतापगढ़।
- 2- प्रमोद तिवारी पुत्र श्री लालजी तिवारी, ग्राम- उसरौली, थाना पट्टी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी:

- 1- 04 अदद अवैध पिस्टल.32 बोर मय मैग्जीन।
- 2- 03 अदद मैग्जीन .32 बोर पिस्टल।
- 3- 01 अदद रिवॉल्वर .32 बोर।
- 4- 04 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर।
- 5- 04 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान:-

डढ़वा मोड के पास, बदलापुर से महाराजगंज रोड। दिनांक 25-07-2025 समय 23.50 बजे।

एसटीएफ उ०प्र०, लखनऊ को सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं आस पास के जनपदों में अवैध असलहों की सप्लाई की जा रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु

निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री धर्मे श कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 25-07-2025 को उ०नि० श्री अतुल चतुर्वेदी, उ०नि० प्रदीप सिंह, मु०आ० सुशील सिंह, मु०आ० राम निवास शुक्ला, मु०आ० राजीव कुमार, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमर श्रीवास्तव व चालक राकेश मिश्रा की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद जौनपुर में भ्रमणशील थी, इस दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से अवैध रूप से असलहा सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्य डढ़वा मोड के पास, बदलापुर से महाराजगंज रोड के पास किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जो अवैध शस्त्र की तस्करी करता है, यह लोग रामराज सरोज निवासी मान्धाता प्रतापगढ़ से अवैध असलहा खरीदकर जौनपुर एवं आस-पास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। रामराज सरोज बिहार एवं मध्य प्रदेश से अवैध असलहा मगाता है जिसे स्थानीय तस्करों के माध्यम से सप्लाई कराता है। यह लोग अवैध असलहे 50 से 60 हजार रुपये प्रति असलहा के हिसाब से बेचते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महाराजगंज, जनपद-जौनपुर में मु०अ०सं० 133/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण
- 31 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक: 25.07.2025 की रात्रि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ठन्डी सड़क के ऊपर बंधारोड़ से 05 अभियुक्तों 1-अंकित 2-विशाल 3-रोशन 4-विजय

उर्फ कोमल 5—पवन को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, 31 हजार 500 रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल के विरुद्ध जनपद आजमगढ़, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त अंकित के विरुद्ध चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अंकित निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
- 2—विशाल निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
- 3—रोशन निवासी ग्राम लौदा ईमादपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
- 4—विजय उर्फ कोमल निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
- 5—पवन निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1—चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।
- 2—31 हजार 500 रुपये नगद आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण
- 01 हजार रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक: 26.07.2025 को थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढाका मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1—राकेश 2—ललित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण, 01 हजार रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना जैतपुर क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जैतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जैतपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राकेश निवासी ग्राम मुस्कुराई थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2—ललित निवासी ग्राम वेरी हाजीपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर हालपता—ग्राम मुस्कुराई थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में पीली-सफेद धातु के आभूषण।

2—01 हजार रुपये नगद आदि।

जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटनाओं का अनावरण
- चोरी की 10 विद्युत मोटर
- 04 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 25.07.2025 की रात्रि थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अशरफपुर अण्डरपास कर्बला मोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1—कल्लू उर्फ बल्लू 2—लवकुश 3—रविशंकर 4—राजन को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 विद्युत मोटर, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद विद्युत मोटर चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—कल्लू उर्फ बब्लू निवासी कटहर बुटहनी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
- 2—लवकुश निवासी लमती उकरहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
- 3—रविशंकर निवासी लमती उकरहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
- 4—राजन निवासी लमती उकरहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

- 1—चोरी की 10 विद्युत मोटर।
- 2—04 मोबाइल फोन।
- 3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।
- 4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना दौराला

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- 469 किलो अवैध गांजा
- 02 चोरी की लग्जरी कार
- 08 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद

दिनांक: 25/26.07.2025 की रात्रि थाना दौराला पुलिस व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल लावड़ रोड के पास से 03 अभियुक्तों 1—अमान उर्फ अमन 2—आरिफ 3—सलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों

के कब्जे/निशादेही से 469 किलो अवैध गांजा, 02 चोरी की लग्जरी कार, 08 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमान उर्फ अमन के विरुद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन व अभियुक्त सलीम के विरुद्ध जनपद मेरठ, हापुड़, बिजनौर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दौराला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अमान उर्फ अमन निवासी शौकीन गार्डन थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।
- 2—आरिफ निवासी श्यामनगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।
- 3—सलीम निवासी मजीदनगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

- 1—469 किलो अवैध गांजा।
- 2—02 चोरी की लग्जरी कार।
- 3—08 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना कमलानगर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 24 लाख 36 हजार 08 सौ कीमत के 341 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
- 170 बोरी चोकर भूसी
- 02 मोबाइल फोन
- नगद रूपये
- 01 आयशर केन्टर आदि बरामद

दिनांक: 26.07.2025 को थाना कमलानगर, एसओजी, सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना नदी पुल के पास 02 अभियुक्तों 1—सन्दीप 2—कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग

24 लाख 36 हजार 08 सौ कीमत के 341 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 170 बोरी चोकर भूसी, 02 मोबाइल फोन, नगद रुपये, 01 आयशर केन्टर आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कमलानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सन्दीप निवासी ग्राम वार्ये गुन्नौर थाना बडी जनपद सोनीपत, हरियाणा।
- 2—कुलदीप निवासी निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी

- 1—लगभग 24 लाख 36 हजार 08 सौ कीमत के 341 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।
- 2— 170 बोरी चोकर भूसी।
- 3—02 मोबाइल फोन।
- 4—01 आयशर केन्टर आदि।

➤ जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शिवकुमार उर्फ खडैल को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद सिद्धार्थनगर/थाना सिद्धार्थनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 376 भादवि की सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त महमूद को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।